


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल गवालियर सर्किट कोटि रीवाम०प०

निगरानी प्रकरण क्रमांक / 2013

(46)
१५.३.१३



R. 1611- III/13

स्त्रीशचन्द्र मिश्रा तनय रामहर्ष मिश्रा निवासी ग्राम तेदुआमन तहसील
करहना, जिला इलाहाबाद उ०प० : ----- निगरानीकर्ता

अधिकारी अतिलिलिखित
द्वारा प्राप्त
रीवा, दि. २५/३/२०१३ सुरेशचन्द्र
2- दिनेशचन्द्र
कलक आफ कोटे
राजस्व मण्डल, म०प्र०
गवालियर

विरुद्ध

। पिसरान रामहर्ष दोनों निवासी ग्राम तेदुआमन तहसील
करहना, जिला इलाहाबाद उ०प० : --- गैरनिगरानीकर्ता गिणा
निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान अपर कमि०
रीवा स्थाग रीवाके राजस्व प्रकरण क्र० 868/अ११-
मे पारित आदेश दिनांक 22-1-2013 है

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प० भूराजस्व
संहिता सन 1959 है

महोदय,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निष्पलिलित आधारों पर

प्रस्तुत हैः-

१- विद्वान अधीनस्थ अदालते पात्रहत का आदेश विधि प्रक्रिया एवम न्यायिक
नियमों के संबंध प्रतिकूल होने के कारण काविले निगरानी है।

146
146

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ-3

प्रकरण क्रमांक R. 611-III/13 जिला रीवा
सतीश-बन्द्र मिला / सुरेश-बन्द्र बगर

(1)	(2)	(3)
17.11.16	<p>अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ रीवा, जिला-रीवा(ग0प्र0) ने अपने पत्र क्रमांक 294/16, दिनांक 11.11.16 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 12.11.16 से अनिश्चित काल तक विधिक कार्यों से विरत रहते हुए अधिवक्तागण आन्दोलन में रहेंगे। आज दिनांक 17.11.16 को कोई अधिवक्तागण उपस्थित नहीं हुये हैं।</p> <p>अतः आज की पेशी पूर्ववत् बढ़ाई जाती है।</p> <p style="text-align: center;">पेशी दिनांक 14.2.17</p> <p style="text-align: right;">आशा से रीडर</p>	
18.1.17.	<p>३७८८८ पत्र के अनुसार ५२ प्रकरण जिला मैनपांडी कार्यालय कर्तव्यालय संघ कानाकर्ट सुरेश-बन्द्र टिनेश्याल्ड सह अपनी कार्यालय में अवधिकृत। इन्हें पत्र भेज के आपकी शाजीनामा प्रक्रिया कर प्रकरण आठों लायानी न रखते हुए प्रकरण इन्हीं का पत्र भाग्य करने का अनुरोध किया। ३८८८ पत्र के अनुसार पर प्रकरण इन्हीं का पत्र अनुसार नियमित भाग्य भरता है। शाजीनामा करने के अनुरोध का अनुरोध आयी वापसी की ओर। प्रकरण उपर्युक्त है।</p> <p style="text-align: right;">संसद 18/1/17</p>	

✓